[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] 1452–23 /2018–19 दिनांक 17-01-19

[illegible] 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल [illegible] के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

[illegible]

[illegible] के आवेदन और उस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश [illegible] बुलन्दशहर को तारीख 01.04.2019 से तारीख 31.03.2022 तक तीन [illegible] तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29.12.2018 के प्रस्ताव संख्या ……….. में [illegible]

[illegible]

1. [illegible] कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई [illegible]
2. [illegible] 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का [illegible]
3. [illegible] कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक [illegible] को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य [illegible]
4. [illegible] की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रति पूरित किया [illegible] विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. [illegible] का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी [illegible]
6. [illegible] के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा [illegible] विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–
   - [illegible] विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी [illegible] विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   - [illegible] के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   - [illegible] तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा [illegible]
   - [illegible] प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए [illegible]
   - [illegible] विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   - [illegible] के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु [illegible] के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि [illegible]
   - [illegible] अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
   - [illegible] कक्षाओं में नियोजित नहीं करेंगे।
7. [illegible] के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–	8853 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	–	
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल	–	
कक्षाओं की संख्या	–	10
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	–	08
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–	उपलब्ध हैं
पेयजल सुविधा	–	उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई		
बाधा रहित पहुंच		
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता		

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से को ईगैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या–अंग्रेजी अस्थाई नर्सरी व जूनियर–2 है। कृपया इसे नोट करलें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
19. विद्यालय में शिक्षक/शिणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्हता के अनुसार की जाये।
20. मान्यता की शर्तो के उल्लघंन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

(अम्बरीष कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0बेसिक/मान्यता/ /2018–19 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र ....।
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

Principal
Dewan Public School
Adalpur Dhomari Khurj Road
Bulandshahr